



संख्या: 5679 / पी3-14(Hab) / यू.आर.आर.डी.ए. / 16

दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

कुमाँऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

विषय: पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्गों की डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त किये जाने विषयक।

सन्दर्भ: उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 2154/XI/16/56(08)2014 दिनांक 09.09.2016

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी संस्तुति के आधार पर जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा की 1000+, 250-499 तक एवं <250(कलस्टर) जनसंख्या की कुल 35 असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु चयनित कुल 19 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 155.83 किमी० के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसकी छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोक्त।

(ए०के० दिनकर)

मुख्य अभियन्ता एवं

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, मसूरी, गोपेश्वर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, एवं ज्योलीकोट।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तरकाशी, टिहरी-2, टिहरी-1, श्रीनगर, सतपुली, कर्णप्रयाग-1, कालसी, चम्पावत एवं द्वाराहाट।

संलग्नक: यथोक्त।

(ए०के० दिनकर)

मुख्य अभियन्ता एवं

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी



संख्या: 5679 / पी3-14(Hab) / यू.आर.आर.डी.ए. / 16

दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

विषय: पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्गों की डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त किये जाने विषयक।

सन्दर्भ: उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 2154/XI/16/56(08)2014 दिनांक 09.09.2016

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी संस्तुति के आधार पर जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा की 1000+, 250-499 तक एवं <250(कलस्टर) जनसंख्या की कुल 35 असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु चयनित कुल 19 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 155.83 किमी० के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रदत्त की गयी है, जिसकी छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोक्त।

(ए०के० दिनकर)

मुख्य अभियन्ता एवं

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, मसूरी, गोपेश्वर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, एवं ज्योलीकोट।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तरकाशी, टिहरी-2, टिहरी-1, श्रीनगर, सतपुली, कर्णप्रयाग-1, कालसी, चम्पावत एवं द्वाराहाट।

संलग्नक: यथोक्त।

(ए०के० दिनकर)

मुख्य अभियन्ता एवं

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या: 2154 / XI / 16 / 56(08)2014
देहरादून, दिनांक: 09 सितम्बर, 2016

कार्यालय झाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा की 1000+, 250-499 तक एवं <250 (क्लस्टर) जनसंख्या की असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार कुल चयनित 19 मोटर मार्ग, जिनकी अनुमानित लम्बाई 155.83 किमी० है, के डी०पी०आर० गठन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए० के पत्र सं० 3962/पी०३-14/यू०आर०आर०डी०ए०/16 दिनांक: 26.07.2016 के अनुक्रम में इन मोटर मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किए जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। डी०पी०आर० गठन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मार्ग का समरेखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो। यदि समरेखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा० सांसद से समरेखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरेखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव सहित डी०पी०आर० गठित की जाए।

इन मोटर मार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुभूत राज्यांश सहित वित्तीय स्वीकृति पृथक से जारी की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न-यथोक्त।

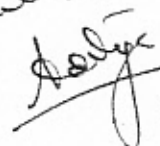
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2154 / XI / 16 / 56(08)2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता (द्वारा मुख्य अभियन्ता), पी०एम०जी०एस० वाई० वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।


(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

SEI/Si Jogendra
Copy to all concerned, (CE, SE & EE)

12/9/16

परिशिष्ट-1

क्र०सं०	जनपद	विकासखण्ड	जनसंख्या	मोटर मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी०)	संयोजित होने वाली बसावटें
1.	उत्तरकाशी	चिन्वालीसौण	1056	चिन्वालीसौण जोगथ मोटर मार्ग किमी० 28.00 से जोगथ तल्ला	4.58	जोगथ तल्ला
2.	टिहरी	चम्बा	490	थान-सबाली मल्ली	2.00	सबाली मल्ली
3.	"	भिलंगना	299	घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग किमी० 8 (मुयालगांव) से मजियारी	15.25	मजियारी (299), महार(382), नेल गउली(227), चौरा (244)
4.	"	भिलंगना	450	घुट्टु गवाना तल्ला मोटर मार्ग किमी० 2 (सुराबी बेंड) से मेन्दु सिन्धवात	5.00	मेन्दु सिन्धवाल(450), मेन्दु(45), नगर कोठियारा(41), केल बग्गी(141)
5.	"	भिलंगना	362	कोटी दखवान गांव मोटर मार्ग किमी० 3.00 से सिलोस	3.00	सिलोस
6.	"	भिलंगना	307	घनसाली-पनवाली-अखोरी मोटर मार्ग किमी० 14 से हडियाना तल्ला	3.00	हडियाना तल्ला (307)
7.	"	जौनपुर	288	बरेथी-वनचुरा से बट्टीगढ़ मोटर मार्ग से देवान	3.00	देवान
8.	देहरादून	चकराता	367	कथियान-दिरनाद	6.00	दिरनाद
9.	चमोली	देवाल	292	छोटिंग-उदयपुर लागा	10.00	उदयपुर लागा छोटिंग
10.	"	गैरसैण	280	बर्कया बेंड-छिमटा	12.00	छिमटा(280), चौरवा(385)
11.	"	गैरसैण	314	बुंगीधार मेहालचौरी बचुवाबान मोटर मार्ग किमी० 2 से स्युनी तल्ली	10.00	स्युनी तल्ली (314)
12.	"	थराली	345	थराली-कुरार मोटर मार्ग से मेरुड	5.00	गुनाद लागा मेरुड
13.	"	थराली	359	थराली-पेनगाढ़	12.00	पेनगाढ़(359), सूना(359)
14.	चम्पावत	चम्पावत	345	गुदागी-मैसियाझाला	2.00	मैसियाझाला
15.	"	चम्पावत	258	टनकपुर-आमबाग मोटर मार्ग-छेनीगोट	4.00	छेनीगोट (258)
16.	पौड़ी	बीरौखाल	388	सिसाई-घोड़पाला मल्ला	20.00	डांग(259), कमराई(441), घोड़पाला मल्ला(388)
17.	"	पाबो	335	छपलोदी-कुल्यानी मल्ली	10.00	मनखोली(322), फलधारी(487), धुनका(300), कुल्यानी मल्ली(335)
18.	"	पाबो	254	पिनानी-थापली मल्ली	20.00	गढ़ी तल्ला(363), उकल(343), थापली(254)
19.	अल्मोड़ा	घौखुटिया	209	खिरा-मालूधार वाया चालेरासीम	7.00	मालूधार(125), चालेरासीम(209)
					155.83	


(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

Regarding Financial Sanction

Name of Project :- Construction of Tharali to Paingarh Motor Road Under PMGSY

The administrative sanction for the project has been granted by the Uttarakhand Government through the letter no 3962 / P-03-14/URRDA/ 16 dated 26-07-2016 in phase XV.

Presantly phase - XV is under progress for the state of Uttarakhand and financial sanction of the work is being granted by the government of India after the obtaining prior approval from the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

The Approximate cost of the project, If sanction under phase - XV of the PMGSY, shall be Rs 550 .00 lac's.


Executive Engg.
RWD. PMGSY
Karanprayag


Assistant Engineer
RWD. PMGSY
Karanprayag-1